न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भारकर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 79/2015 G.C.M.S. No. 2015/00287 दर्ज दिनांक : 21.12.2015

अपीलार्थिगण:

1. स्व. वसिया पुत्र कालू लवार निवासी आईचिया तहसील पाली जिला पाली के विधिक वारिसान:-
   - 1/1 अशोक पुत्र स्व. वसीया, उम्र वयस्क, जाति लवार, निवासी आईचिया, तहसील व जिला पाली।
   - 1/2 जसोदा पुत्री स्व. वसीया, उम्र वयस्क, जाति लवार, पत्नि हजारी, निवासी गांव पाचेटिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
   - 1/3 गंगादेवी पुत्री स्व. वसीया, उम्र वयस्क, जाति लवार, पत्नि राणाराम, निवासी गांव गुरडाई, तहसील व जिला पाली।
   - 1/4 रूपीदेवी पुत्री स्व. वसीया, उम्र वयस्क, जाति लवार, पत्नि नारायण, निवासी गांव गुन्दोज, तहसील व जिला पाली।
   - 1/5 कमलादेवी पुत्री स्व. वसीया, उम्र वयस्क, जाति लवार, पत्नि मीठालाल, निवासी गांव बूसी, तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मनरूप पुत्र कालु, जाति लवार
2. पेपीदेवी बेवा जयसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण आईचिया, तहसील व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 70/2014 बअनवान मनरूप बनाम वसीया में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015

उपस्थित-

1. श्री ओमप्रकाश पंवार, श्री भागीरथ पटेल, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 24.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 70/2014 बअनवान मनरूप बनाम वसीया में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 मनरूपजी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र हेतु धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 327/04 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही सोयम व खसरा नम्बर 327/05 रकबा 9 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 327/7 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 320/7 रकबा 3 बीघा किस्म चाही सोयम कुल रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा मौजा आईचिया तहसील पाली जिला पाली में स्थित है। जिस कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार टिनेन्ट प्रार्थी हैं एवं उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज रह काश्त करता था एवं आज भी काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्रकरण में जिस भूमि के सम्बंध में राजस्व वाद व प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया है व कृषि भूमि है ही नहीं तो पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से गैर कृषि कार्य अर्थात् कारखाने व मकान बाडें के रूप में काम आ रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि भूमि पर वादी/प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं ही हैं। महत्वपूर्ण तथ्यो ने नजर अन्दाज कर इस मात्र रूप से प्रार्थी द्वारा लिखी बातों को हुबहु स्वीकार कर अपीलार्थी आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व नक्शों की सम्बंधित राजस्व नक्शो पर भी ध्यान नहीं दिया, खसरा नम्बर 327 से लगती गावं आईचिया की आबादी भूमि स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 292 है कि भूमि में ही अप्रार्थीगण का बाडा स्थित है, जो प्रथम दृष्टिया आबादी में होना स्पष्ट था, क्योकि स्वयं प्रार्थी अपने बहस में यह स्वीकार कर चुका है कि अप्रार्थी संख्या 04 श्रीमती पेपीदेवी का पट्टा बना हुआ है व पेपीदेवी के पडौस में वादग्रस्त बाडा स्थित है। वादग्रस्त वाद बांडे सम्बध में श्रीमान तहसीलदार साहब पाली द्वारा एल.आर./2015/5461 की आधार पर सर्व टीम का गठन किया गया, जिसमें भू–अभिलेख गुन्दोज, हल्का पटवारी हेमावास, पटवारी आईचिया व पुलिस इमदाद मौके पर मौजूद थी ने दिनांक 03–10–2015 को वादग्रस्त सभी भूमि का सीमांकन किया व कृषि भूमि के मुटाम लगाये जो वादग्रस्त बाडे की भूमि को आबादी भूमि हेतु बताने पर्याप्त है रिपोर्ट बनाते समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण सभी गांव के मौजिज व्यक्ति मौजूद थे, परन्तु अप्रार्थी ने उक्त बाडे की भूमि की कृषि भूमि नही पाये व आबादी भूमि में शामिल होना पाये जाने पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जबकि यह रिपोर्ट स्वयं प्रार्थी के द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन करने के पश्चात हुई कार्यवाही के अनुक्रम में तैयार हुई थीं एवम् इसी कार्यवाही के अग्रेषण में उक्त रिपोर्ट के स्पष्टीकरण हेतु तहसीलदार पाली के आदेश 15/6916 दिनांक 02–11–2015 के क्रम में दिनांक 06–11–2015 पटवारी आईचिया द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में एक और रिपोर्ट दिनांक 06–11–2015 को तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट के वादग्रस्त बाडे की भूमि को पूर्ण रूप से आबादी में आना माना है। जिसे भी वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही होना प्रथम दृष्टिया ही स्पष्ट है, इसके विपरित बिना किसी आधार के वादग्रस्त भूमि को कृषि भूमि मानकर आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पर भी कोई ध्यान नही दिया कि वादग्रस्त बाड़े की भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा पिछले 40 वर्षों से अधिक नहीं है। बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा व व्यादेश निषेधाज्ञा प्राप्त नही की जा सकती, इसके विपरित प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केस मानना ही अधिनस्थ न्यायालय की भारी विधिक भूल थी एवम् ऐसे वाद जिसमें न तो घोषणात्मक चाहा गया, न ही कब्जा सम्बंधित अनुतोष चाहा वाद चलने योग्य नहीं था। ऐसे आधे-अधूरे वाद में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2015 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 327/4, 327/5, 327/7, 320/7 रेस्पोंडेंट मनरूप की खातेदारी आराजी है तथा उक्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो ज़ैरकार है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त आराजी को लेकर विवाद विद्यमान है तथा अपीलांट उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन बखूबी प्रार्थी रेस्पोंडेंट के पक्ष में निहित है। अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि वादग्रस्त स्थल आबादी भूमि का भाग है न कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तथा आबादी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं हैं। वादग्रस्त स्थल अभी भी प्रार्थी की कृषि भूमि का भाग नहीं रहा है। अतः अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश रेस्पोंडेंट प्रार्थी की खातेदारी आराजी के संबंध में पारित किया गया है तथा यदि वादग्रस्त स्थल प्रार्थी की खातेदारी का भाग नहीं हैं तो संबंधित पक्ष सक्षम स्तर से सीमाज्ञान व दीगर कार्यवाही करवाने के लिए स्वतंत्र है। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली